फर्द अहकाम

पन्नालाल बनाम बाबू

न्यायालय ACM (RA) Shahpura - Jaipur

संख्या 90/2024

दावा 53/188 RTA

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 26/9/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०, वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।<br>वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 30/9/24 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |
| 30/9/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 7/10/24 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |
| 7/10/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।<br>अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। फैसला शा० पत्रावली हो। पत्रावली निर्णित सूचना हेतु दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 90 / 2024, जीसीएमएस संख्या 2024 / 141

उनवान

1. चन्द्रावल गुर्जर पत्नि मोहनलाल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी चतरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. सुनिता गुर्जर पत्नि विक्रम सिंह सराधना, जाति गुर्जर, निवासी पीपलोद नाथू, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र गोगा
2. गिरधारी पुत्र गोगा
3. प्रेम देवी पत्नि मोहनलाल
4. दीपक पुत्र मोहनलाल
5. पूजा पुत्री मोहनलाल
6. लक्ष्मी पुत्री मोहनलाल
7. फूली देवी पत्नि नान्छा उर्फ नन्छुराम
8. मुंशीलाल पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी चतरपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
11. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल परिवर्तित नाम राजस्थान मरूधरा ग्रामीण।
12. शाखा प्रबन्धक सिडीकेट बैंक हाल परिवर्तित नाम केनरा बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 07-10-2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–199 के हाल आराजी खसरा नं0–408/0. 40, 410/0.66 है० कुल किता–2 कुल रकबा 1.06 है० वाके ग्राम चतरपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र पेश है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित बारह प्रस्त भूमिया है जिन्हे वाद पत्र के आगे के पैराज में वाद अधीन मुतवादिया कहा गया है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा करते है तथा वादीगण के हिस्से में जबरिया लठ के बल पर कब्जा करने की फिराक में है जिसके चले आये दिन प्रतिवादीगण सीव, डोल, विशिष्ट भु–भाग पर कब्जा करने व जबरन रास्ता निकालने हेतु वादीगण को हैरान व परेशान करते है तथा वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है जिस कारण अब सामलाती में काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है। अर्सा–5 दिवस पूर्व वादीगण अपने हिस्से की भूमि में फसल की देखभाल कर रही थी कि अचानक प्रतिवादीगण वाद अधीन मुतवादिया में जबरन घुस आये तथा आते ही वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा उपयोग उपभोग करने में बैजा मदाखलत पैदा करने लगे तो वादीया द्वारा हाय हल्ला करने पर आस पास के काश्तकार ओर एकत्रित हो गये तो प्रतिवादीगण से समझाईश की गयी तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण से कानूनी बंटवारा करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने कानूनी बंटवारे हेतु स्पष्ट रूप से मना कर दिया व प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुले में चेतावनी दी कि हम किसी कदर वाद अधीन मुतवादिया का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे जबकि जबरन वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त की भूमि मे से पुख्ता रास्ता बनाकर वाद अधीन मुतवादिया को खुर्द बुर्द करके रहेगे एवं वादीगण को एक इंच भूमि पर भी काश्त नहीं करने देगे। जबकि कब्जा वे स्वंय करने को आमदा है जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। प्रतिवादीगण किसी कदर अपने अवैध मंसूबो में सफल हो गये और उन्होंने वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया व उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने या वादीगण की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को इससे नाकाबिले तलाफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0-199 के हाल आराजी खसरा नं0-408/0. 40. 410/0.66 है० कुल किता-2 कुल रकबा 1.06 है० वाकै ग्राम चतरपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को ध्यान में रखकर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खाता सं0-199 के हाल आराजी खसरा नं0-408/0.40. 410/0. 66 है० कुल किता-2 कुल रकबा 1.06 है० वाकै ग्राम चतरपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे जबकि वादीया को उसके हिस्से पर काबिज काश्त रहकर शांति पूर्वक काश्त करने बाबत् पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 28.08.2024 को प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने प्रकरण को प्राथमिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से व दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दिनांक 28.08. 2024 को दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/4133 दिनांक 04. 09.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिकी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट में पक्षकारों को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

**आदेश**

**अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0-199 के हाल आराजी खसरा नं0-408/0. 40. 410/0.66 है० कुल किता-2 कुल रकबा 1.06 है०**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाके ग्राम चतरपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :—

1. चन्द्रावल गुर्जर पत्नि मोहनलाल गुर्जर हि0 1/2 सा0 देह खातेदार, सुनीता गुर्जर पत्नि विक्रम सिंह सराधना हि0 1/2 सा0 पीपलोद नाथू के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 410/1 रकबा 0.2650 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2650 है0 भूमि रहेगी।
2. गिरधारी पुत्र गोगा हि0 1/3 जाति गुर्जर राहिन हि0 1/3 सिंडिकेट बैंक शाहपुरा सा0 देह खातेदार, फूली देवी पत्नि नान्छा उर्फ नन्छूराम हि0 221/2650, जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा सा0 देह खातेदार, मुन्शीलाल पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम हि0 221/2650 जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार , लक्ष्मीनारायण पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम हि0 221/2650 जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार, प्रेम देवी पत्नि मोहनलाल हि0 83/3975 जाति गुर्जर राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार, नाबालिग दीपक पुत्र मोहनलाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, नाबालिग पुजा पुत्री मोहनलाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, नाबालिग लक्ष्मी पुत्री मोहनाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, कमली देवी पत्नि कालू हि0 59/1590 जाति गुर्जर राहिन हि0 59/1590 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, सा0 देह खातेदार, दाताराम पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, सा0 देह खातेदार, मुकेश पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मनोज पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, रामसिंह पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, गोठी देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मेवा देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मानी देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी,

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सीता देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 410/2 रकबा 0.3950 है0, 408 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7950 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/10/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 90 / 2024, जीसीएमएस संख्या 2024 / 141

उनवान

1. चन्द्रावल गुर्जर पत्नि मोहनलाल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी चतरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. सुनिता गुर्जर पत्नि विक्रम सिंह सराधना, जाति गुर्जर, निवासी पीपलोद नाथू, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र गोगा
2. गिरधारी पुत्र गोगा
3. प्रेम देवी पत्नि मोहनलाल
4. दीपक पुत्र मोहनलाल
5. पूजा पुत्री मोहनलाल
6. लक्ष्मी पुत्री मोहनलाल
7. फूली देवी पत्नि नान्छा उर्फ नन्छुराम
8. मुंशीलाल पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी चतरपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
11. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल परिवर्तित नाम राजस्थान मरूधरा ग्रामीण।
12. शाखा प्रबन्धक सिडीकेट बैंक हाल परिवर्तित नाम केनरा बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 7/10/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0—199 के हाल आराजी खसरा नं0—408/0.40, 410/0.66 है० कुल किता—2 कुल एकबा 1.06 है० वाकै ग्राम चतरपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :—

1. चन्द्रावल गुर्जर पत्नि मोहनलाल गुर्जर हि0 1/2 सा0 देह खातेदार, सुनीता गुर्जर पत्नि विक्रम सिंह सराधना हि0 1/2 सा0 पीपलोद नाथू के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 410/1 रकबा 0.2650 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2650 है0 भूमि रहेगी।
2. गिरधारी पुत्र गोगा हि0 1/3 जाति गुर्जर राहिन हि0 1/3 सिंडिकेट बैंक शाहपुरा सा0 देह खातेदार, फूली देवी पत्नि नान्छा उर्फ नन्छूराम हि0 221/2650, जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा सा0 देह खातेदार, मुन्शीलाल पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम हि0 221/2650 जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार , लक्ष्मीनारायण पुत्र नान्छा उर्फ नन्छुराम हि0 221/2650 जाति गुर्जर राहिन हि0 221/2650 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार, प्रेम देवी पत्नि मोहनलाल हि0 83/3975 जाति गुर्जर राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सा0 देह खातेदार, नाबालिग दीपक पुत्र मोहनलाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, नाबालिग पुजा पुत्री मोहनलाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, नाबालिग लक्ष्मी पुत्री मोहनाल संरक्षक माता प्रेम देवी हि0 83/3975 राहिन हि0 83/3975 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, कमली देवी पत्नि कालू हि0 59/1590 जाति गुर्जर राहिन हि0 59/1590 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, सा0 देह खातेदार, दाताराम पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, सा0 देह खातेदार, मुकेश पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मनोज पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, रामसिंह पुत्र कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, गोठी देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मेवा देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, मानी देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, सीता देवी पुत्री कालू हि0 49/1325 जाति गुर्जर राहिन हि0 49/1325 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 410/2 रकबा 0.3950 है0, 408 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7950 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 7/10/2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला-जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4. .......... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.